18/2018 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकारी प्रकरण सं0 18/2018 अनवान् सुभाष गोयल पुत्र श्री रामकुमार गोयल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय उप–पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.04.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री मनीष कुमार भारद्वाज उपस्थित। विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2018 शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना की उसे वांछित सूचनाएं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से प्राप्त हो चुकी है इसलिए इस अपील में अपीलार्थी कोई कार्यवाही नही चाहता है। इसलिए इसमें कार्यवाही समाप्त कर दी जावे तो, उसे कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्क पर मनन किया और पत्रावाली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 12.01.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर निम्न सूचनाएं चाही थी :

1. कार्यालय उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 1222 दिनांक 04.10.2016 में श्रीगंगानगर कलक्टर शहर द्वारा जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनतर्गत इस्तगासा प्रस्तुत करने के आदेश की प्रतिलिपि।
2. पत्र क्रमांक 1222 दिनांक 04.10.2016 से सम्बन्धित पत्रावली की नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र क्रमांक 1222 दिनांक 04.10.2016 के पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 09.04.2018 के अनुसार वांछित सूचनाए अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है और अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा अब यह प्रार्थना की गई है कि चूंकि उसे वांछित सूचनाएं प्राप्त हो चुकी है इसलिए उक्त अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः प्रार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज की जाती है। आदेश की एक–एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर (राज.)